छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के तहत डी.एम.एफ. निधि से प्रस्तावित 03 वर्षो की कार्ययोजना की समीक्षा बैठक दिनांक 02.09.2016 का कार्यवाही विवरण

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के तहत् गठित जिला खनिज संस्थान न्यासों में से प्रतिवर्ष रूपये 50 करोड़ से अधिक राशि जिला खनिज संस्थान न्यास निधि में प्राप्त करने वाले 09 जिलों में न्यास निधि से कराये जाने वाले कार्यों की 03 वर्ष (2016–17, 2017–18 एवं 2018–19) की प्रस्तावित कार्ययोजना की समीक्षा बैठक दिनांक 02.09.2016 को महानदी भवन, एम–5/24, सभा कक्ष, मंत्रालय में माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित रहे :–

1 श्री विवेक ढांड, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

2 श्री बैजेन्द्र कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री

3 श्री एम.के. राऊत, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

4 श्री आर.पी. मंडल, प्रमुख सचिव, वन विभाग

5 श्रीमती रेणु.जी. पिल्ले, प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

6 श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव, खनिज साधन विभाग

7 श्री अनुप श्रीवास्तव, संचालक, कृषि विभाग

8 श्री अनिल राय, सचिव, लोक निर्माण विभाग

9 श्रीमती शहला निगार, विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

10 श्री रोहित यादव, विशेष सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग

11 श्री रजत कुमार, संयुक्त सचिव, विमानन विभाग

12 सुश्री रीना बाबासाहेब कंगाले, संचालक, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म,

13 कलेक्टर एवं मुख्य कार्यालयपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला – कोरबा, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, जांजगीर–चांपा, बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर, बालोद एवं कोरिया।

बैठक में सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया। खनन से संबंधित संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों को अधिसूचित करने के संबंध में जिलों द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि खनन से प्रभावित क्षेत्र के 05 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र में आने वाले ग्रामों एवं ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता में लेते हुए कार्ययोजना बनाई जाये। यह सुनिश्चित हो कि खदान क्षेत्र के उक्त ग्रामों में सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए संपादित कार्यों से होने वाला विकास आगामी 2–3 वर्षो में दिखने लगे।

2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा मुख्य खनिजों एवं गौण खनिजों से अंशदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के मुख्य खनिजों हेतु एवं गौण खनिजों हेतु निर्धारित दरों का विवरण दिया गया एवं जिस तिथि से यह लागू किया गया है, इसकी भी जानकारी दी गई।

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा न्यास निधि में उपलब्ध राशि का व्यय, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अनुरूप न्यूनतम 60 प्रतिशत उच्च

प्राथमिकता के क्षेत्रों में एवं 40 प्रतिशत अन्य प्राथमिकता के आधार पर जिला खनिज संस्थान द्वारा तैयार किये गये कार्ययोजना के संबंध में जानकारी दी गई

4. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग द्वारा जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था हेतु न्यास निधि में कुल उपलब्ध राशि के 5 प्रतिशत तक व्यय के प्रावधान होने की जानकारी दी गयी। सचिव, खनिज साधन द्वारा जिलों में 05 से 10 करोड़, 10 से 20 करोड़ एवं 20 करोड़ से अधिक डी.एम.एफ. अंशदान निधि वाले जिलों में अलग–अलग पद संरचना का विवरण प्रस्तावित गया। इस प्रस्तावित सेटअप में डिप्टी कलेक्टर, प्रतिनियुक्ति/संविदा पर परियोजना अधिकारी के रूप में लेने की सहमति व्यक्त की गई एवं शेष अन्य प्रस्तावित सेटअप पर भी स्वीकृति देते हुए आगामी कार्यवाही हेतु खनिज साधन विभाग को शीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही खनिज साधन विभाग)

5. छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त 27 जिलों में जुलाई, 2016 की स्थिति में डी.एम.एफ. मद में प्राप्त राशि एवं तैयार कार्य योजना की जानकारी सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जुलाई, 2016 तक समस्त जिलों में डी.एम.एफ. मद में रूपये 581.48 करोड़ जमा हो चुके है। प्रदेश के समस्त 27 जिलों में ट्रस्ट व्दारा रूपये 2370.69 करोड़ की कार्ययोजना के अनुमोदन की जानकारी दी गयी।

5.2 सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा यह निर्देशित किया गया कि समस्त कलेक्टर, कार्ययोजना में लिए गये कार्यो की प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति जल्द से जल्द जारी कर निविदा की प्रक्रिया अक्टूबर तक पूर्ण करे ताकि वर्षा ऋतु के पश्चात् स्वीकृत कार्य प्रारंभ हो सके। बड़ी परियोजनाओं को समारोह पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय केन्द्रीय मंत्रियों की उपस्थिति में प्रारंभ किये जाने के सुझाव दिये गये।

6. सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा डी.एम.एफ. योजना के बेहतर क्रियान्वयन हेतु एन.आई.सी. के माध्यम से प्रस्तावित वेबसाईट निर्माण के संबंध में जानकारी दी गई। इस वेबसाईट में खनन से प्रभावित व्यक्तियों/स्थानीय समुदायों की सूची प्रदर्शित की जावेगी एवं सूची को वेबसाईट पर अद्यतन संधारित करना होगा। जिला न्यास की तैयार की जा रही इस वेबसाईट के माध्यम से जिलो को Quarterly Progressive Report, विगत वर्ष के व्यय पर आधारित Annual Report and Annual Audited Accounts, शासी परिषद एवं प्रबंधकारिणी समिति के बैठकों के कार्यवाही विवरण, वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट, कार्यादेश, वार्षिक प्रतिवेदन, चल रहे कार्यो की अद्यतन स्थिति, खदानों से प्रभावित क्षेत्र एवं लोगों की सूची, पट्टाधारकों तथा अन्य से प्राप्त समस्त योगदानों का त्रैमासिक विवरण, विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंतर्गत हितग्राहियों की सूची अद्यतन की जानी होगी।

(कार्यवाही एन.आई.सी., खनिज साधन विभाग एवं समस्त कलेक्टर)

7. सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा जिन ग्रामों में खदान स्थित है एवं उस खदान के परिक्षेत्र में स्थित ग्रामों में विकास की योजनाओं का समग्र विकास की कार्ययोजना के रूप में क्रियान्वयन कर ''आदर्श ग्राम'' के रूप में विकसित किये जाने का सुझाव रखा गया

एवं यह सुनिश्चित करने हेतु कहा गया कि आदर्श ग्राम परिकल्पना में आजीविका उन्नयन (Livelihood Promotion) के कार्यों को इस प्रकार लागू किया जाये कि खनन प्रभावित व्यक्तियों की आय 3 वर्षों में लगभग दोगुनी हो जाये।

7.1 खानों से दूषित जल का उपचार – माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप विशेषकर कोयला खदानों से निकलने वाले जल को उपचार करके सर्वप्रथम पेयजल के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए, इसके बाद कृषि, सिंचाई एवं उद्योग में उपयोग किये जाने के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना बनाने हेतु सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा कहा गया। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिये गये कि बंद/पुरानी खदानों में तालाब के रूप में पाये जाने वाले जल का पेयजल के रूप में उपयोग करने के पूर्व उपचार किया जाना चाहिए, जिससे जल शुद्धता बनी रहे। इसके बाद ही आवश्यकतानुसार कृषि, सिंचाई एवं उद्योग में इसका उपयोग किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा द्वारा यह बताया कि खदानों के बंद होने के पश्चात् इन खदानों में जमा जल का उपयोग करने के पूर्व पर्यावरण नियमों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सहमति जताते हुए निर्देशित किया कि इन खदानों में उपलब्ध पानी का उपयोग करने के पूर्व विधिवत कार्य योजना बनाया जाये एवं यह भी अध्ययन किया जाना आवश्यक है कि वाटर लेवल पर इसका दुष्प्रभाव तो नहीं होगा।

(कार्यवाही समस्त कलेक्टर)

7.2 माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा एस.ई.सी.एल. द्वारा कोल बियरिंग एक्ट के तहत अधिग्रहित भूमि, जिस पर कोयला खनन हो चुका है, ऐसी भूमि राज्य शासन को वापस दिये जाने के प्रस्ताव, राज्य शासन को प्रेषित करने के निर्देश संबंधित कलेक्टरों को दिये गये है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐसी भूमि, जिनमें कोयला खनन हो चुका है एवं एस.ई.सी.एल. द्वारा 10 वर्षो से अधिक समय से उपयोग नहीं कर रहा है ऐसी भूमि राज्य शासन को वापस दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया एवं इस पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही समस्त कलेक्टर)

8. डी.एम.एफ. राशि से राज्य शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में – सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा डी.एम.एफ. राशि से छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिजों (गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों) के स्वीकृत खनिपट्टा/खनन क्षेत्र हेतु ली गयी भूमि के भू–स्वामियों के परिवार के सदस्यों के लिए मेडिकल, इंजिनियरिंग, लॉ, मैनेजमेंट आदि उच्च शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने के लिए पूरी ट्यूशन फीस राज्य सरकार द्वारा दिये जाने के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसमें नर्सिंग को शामिल करते हुए केवल शासकीय कॉलेजों में अध्ययन की स्थिति में डी.एम.एफ. मद से वित्तीय सहायता दिये जाने का निर्देश दिया गया।

8.2 खदान क्षेत्रों के ग्रामों में महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत शत–प्रतिशत रसोई गैस कनेक्शन, गैस चूल्हा तथा पहला भरा सिलेण्डर 200 रूपये की टोकन राशि में दिये जाने की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है। सचिव, खनिज साधन विभाग

द्वारा बताया गया कि 20 जिलों में निर्धारित लक्ष्य राशि रूपये 54.75 करोड़ के विरूद्ध रूपये 13.20 करोड़ उज्जवला योजना में उपलब्ध कराया जा चुका है।

8.3 सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा मुख्य खनिजों के खदान क्षेत्रों के ग्रामों में शत्–प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण की योजना को क्रमशः शामिल करने हेतु सुझाव दिया गया। अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा द्वारा राज्य में अविद्युतीकृत ग्रामों/मंजराटोला में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण की लघु योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रस्तावों को शामिल किये जाने हेतु कहा गया। इसी तरह सौर ऊर्जा पम्प, स्कूलों एवं आंगनबाड़ी के विद्युतीकरण जैसी योजनाओं के भी प्रस्ताव में शामिल किया जावे। मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कहा गया कि शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों में स्ट्रीट लाईटिंग के कार्यों में एल.ई.डी. लाईटों का प्रयोग, अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।

8.4 राज्य में जिला बस्तर, कांकेर, कोण्डागांव, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा एवं राजनांदगांव में बैंक सेवाओं के विस्तार हेतु नई शाखाएं प्रारंभ करने की स्थिति में अधोसंरचना के कार्यों को स्वीकृत किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा पूर्व में डी.एम. एफ. मद से करने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं, इसका पालन करते हुए डी.एम.एफ. की कार्ययोजना में शामिल करने का सुझाव दिया गया।

8.5 राज्य में विकसित किये जा रहे तीन रेल कॉरिडोर के क्रियान्वयन हेतु डी.एम.एफ. मद में उपलबध राशि से बलौदाबाजार, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर एवं बस्तर जिले में अंशपूंजी प्रदाय करने हेतु कार्ययोजना को भी स्वीकृति दी जा सकती है।

8.6 बस्तर संभाग के समस्त जिलों में Bastar Net के अन्तर्गत OFC Cable हेतु डी.एम.एफ. से राशि सुरक्षित रखने हेतु सुझाव दिया गया।

(कार्यवाही संबंधित कलेक्टर)

9 डी.एम.एफ. के अन्तर्गत जिलों में सम्पादित विकास कार्यों की विशेष पहचान हेतु डी.एम. एफ. Logo को विकसित किया जा रहा है। इस संबंध में यह सुझाव दिया गया है कि डी. एम.एफ. से कराये जाने वाले समस्त कार्य स्थलों में डी.एम.एफ. Logo के साथ–साथ छत्तीसगढ़ शासन का राजकीय चिन्ह भी लगाया जाना चाहिए। सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा डी.एम.एफ. के कार्यों के क्रियान्वयन में सम्पूर्ण पारदर्शिता एवं नियत समय–सीमा में गुणवत्तापूर्ण कराये जाने हेतु समस्त कलेक्टर्स को कहा गया।

(कार्यवाही खनिज साधन विभाग एवं समस्त कलेक्टर)

10 मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन व्दारा कलेक्टर्स को डी.एम.एफ. अंतर्गत निर्माण कार्यों में प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार की सीमा के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किये जाने के लिये कहा गया।

(कार्यवाही खनिज साधन विभाग)

11 सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा सभी को बताया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य देश में छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम अधिसूचित करने वाले प्रथम राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक 581 करोड़ रूपये DMF राशि अंशदान के रूप में प्राप्त हो चुकी है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के निर्देशों को संपूर्ण रूप से

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम में लागू किये गये हैं। दिनांक 04 जुलाई, 2017 को देश में PMKKKY की पहली परियोजनाओं का शिलान्यास दंतेवाड़ा जिले के पांच आदर्श ग्रामों में किया गया। भारत सरकार द्वारा राज्य की DMF कार्ययोजना की सराहना की गई है। सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा इसी कार्यदक्षता को निरंतर बनाये रखने का आग्रह सभी कलेक्टरों से किया गया।

12. जिलेवार डी.एम.एफ. कार्य योजना की प्रस्तुतीकरण –

12.1 जिला कोरबा – कलेक्टर कोरबा द्वारा आगामी तीन वर्षों हेतु राशि रूपये 616 करोड़ की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। उनके द्वारा प्रधानमंत्री खनिज कल्याण क्षेत्र योजना के अन्तर्गत 11 आदर्श ग्राम के समग्र विकास हेतु कार्ययोजना के संबंध में बताया गया। उक्त सभी ग्राम शीघ्र किसी भी नगर पंचायत क्षेत्र से बेहतर विकसित हो जाये, इस बाबत् माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिये गये।

समस्त आदर्श ग्रामों में ई–पंचायत केन्द्रों की स्थापना, सर्वसुविधायुक्त पंचायत संसाधन केन्द्र, लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना, उप–स्वास्थ्य केन्द्रों में टेली मेडिसिन की सुविधा, आदर्श स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम एवं सूचना प्रौद्यिगिकी विस्तार एवं आदर्श आवासीय आश्रमों की स्थापना, सोलर ऊर्जीकरण, सोलर स्ट्रीट लाईट, सोलर पावर पम्प सह टंकी, मॉडल आंगनबाड़ी स्थापना, पेयजल सुविधा एवं वाटर ए.टी.एम., समग्र विद्युतीकरण कार्य, सड़क निर्माण कार्य इत्यादि परियोजनाओं को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किये जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रस्तुतीकरण पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दंतेवाड़ा मॉडल के आधार पर एजुकेशन सिटी विकसित करने हेतु कहा गया। इस पर व्यय होने वाली राशि अधिक होने की स्थिति में अन्य मद से भी राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कोरबा में उपलब्ध खनन कंपनियों से प्राप्त सीएसआर मद से भी राशि का उपयोग आवश्यकतानुसार डी.एम.एफ. मद के साथ किया जा सकता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रस्तुतिकरण के संदर्भ में यह निर्देश दिये गये कि कोरबा जिले में संचालित एस.ई.सी.एल. के समस्त अस्पतालों एवं अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संचालित भी यदि कोई अस्पताल है, तो उन्हें आर.एस.बी.वाय. योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराया जाये।

कोरबा जिले में महिला एवं बाल विकास के प्रस्तुतिकरण में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा द्वारा यह प्रस्ताव दिया कि ऐसे आंगनबाड़ी केन्द्र में जहां बच्चों की संख्या 20 से अधिक हो ऐसे केन्द्र के भवन निर्माण का कार्य प्रथमतः लिया जाना सुनिश्चित् करें एवं सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में, जहां अपने भवन हों, वहां विद्युतीकरण का कार्य डी.एम.एफ. मद से कराया जाये। आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय की सुविधा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। बच्चों की स्वास्थ्य जांच नियमित रूप से कराई जाये एवं बच्चों को गुणवत्तापूर्ण गरम भोजन खिलाया जाये।

दिव्यांगों के लिए योजनाओं पर प्रस्तुतीकरण में सचिव, खनिज साधन द्वारा राज्य सरकार से प्राप्त बजट का उपयोग करने के पश्चात् ही डी.एम.एफ. राशि का उपयोग करने का सुझाव दिया गया ।

डेयरी विकास योजना के संबंध में कलेक्टर, कोरबा द्वारा दिये गये प्रस्तुतिकरण पर लघु डेयरी स्थापित करने का सुझाव दिया गया एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह निर्देश दिया गया कि डेयरी व्यवसाय से जुड़े लोगों का समूह तैयार कर, इन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिये जाये एवं इसका सम्पूर्ण अध्ययन करने के पश्चात् ही इसे लागू किया जावे साथ ही योजना को गंभीरता से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। पशुपालन के डेयरी संबंधित अन्य योजनाओं को शामिल करने के पश्चात् ही डेयरी संचालन हेतु अतिरिक्त आवश्यक राशि डी.एम.एफ. से लेकर कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।

कौशल विकास के संबंध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा और अधिक लागत की परियोजनाओं को भी शामिल करने हेतु कहा गया। मौजूदा उपलब्ध आई.टी.आई. भवनों में अतिरिक्त कमरों के निर्माण एवं अतिरिक्त छात्रावास के निर्माण भी कराये जाये, जिससे आजीविका समर्थन गतिविधियों में शामिल युवकों को अधिक–से–अधिक सुविधायें उपलब्ध हो सके। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अधोसंरचना के कार्य डी.एम.एफ. से करने हेतु कहा गया एवं यह भी सुझाव दिया गया कि स्वरोजगार के 06 माहों में पूरे होने वाले कौशल उन्नयन के कार्य जैसे–पम्प, फ्रिज़, ए.सी. सुधार के कार्य इत्यादि लिया जाना चाहिए और इन केन्द्रों को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप विकसित किया जाये, जिससे बेरोजगार को स्वरोजगार मिल सके। इस संबंध में सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा बताया गया कि सचिव, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से हुई चर्चानुसार भवन उपलब्ध होने की स्थिति में एस.ई.सी.एल. कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण देने के लिए तैयार है। इस पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा तत्काल एस.ई.सी.एल. के संयोजन से उपलब्ध भवनों पर प्रशिक्षण शुरू करने के निर्देश दिये गये। प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बताया गया कि नॉन एल.डब्ल्यू.ई. जिलों में कौशल उन्नयन से संबंधित फण्ड कम है, अतः डी.एम.एफ. मद से अधोसंरचना मद में कार्य स्वीकृत किये जाने के प्रस्ताव पर विचार होना चाहिये।

पर्यावरण संरक्षण/संवर्धन से संबंधित योजनाओं के चर्चा में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बांगो डेम में बड़े क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की वृहद कार्ययोजना के साथ प्रस्ताव तैयार किये जाने का सुझाव दिया गया। इस कार्य हेतु वन विभाग से भी राशि ली जा सकती है।

स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास द्वारा यह बताया गया कि प्रदेश में 10 लाख से अधिक अनुपयोगी टॉयलेट है, जिन्हें सुधार कर उपयोग में लाया जा सकता है इस हेतु डी.एम.एफ. मद से राशि दिया जाना चाहिए इस पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी सहमति दी गई एवं इस मद में केन्द्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हो रही है, यह बताया गया।

शहरी क्षेत्र में पेयजल आवर्धन योजनाओं के संबंध में यह सुझाव दिया गया कि योजना शहर से लगे हुये बसाहटों को ध्यान में रख कर/शामिल करते हुए बनाई जाये और इसे आगामी 02 वर्षों में पूरा करना सुनिश्चित करें।

जलावर्धन योजना को प्रभावी ढ़ंग से लागू करें एवं कोरबा जिले के अलावा अन्य विकासखण्डों में भी समग्र योजना पेयजल आपूर्ति हेतु बनाने के निर्देश दिये गये। इसके अलावा 20 से 50 एकड़ तालाबों को भी जीर्णोधार कराकर फेसिंग, वृक्षारोपण कराने के

पश्चात् ही आवश्यकतानुसार केवल एल.ई.डी. लाईट की व्यवस्था कर, संरक्षण/संवर्धन का कार्य किया जा सकता है।

आदिम जाति कल्याण से संबंधित योजना में पहाड़ी कोरवा के अलावा अन्य आदिम जनजाति वर्ग के लोगों को भी शामिल किया जाये, यह सुझाव दिया गया।

अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि जहां खदान संचालित है, उस क्षेत्र में विकास कार्य पहले किये जाये। इस पर मुख्य सचिव महोदय ने स्वास्थ्य, पेयजल एवं विद्युतिकरण, कृषि संबंधी कार्य को प्राथमिकता में लेकर चेक डैम, नालाबंधान इत्यादि लघु सिंचाई कार्य जो नरेगा से हो सकते है उन्हें डी.एम.एफ. के कार्य योजना में शामिल न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

कोरबा जिले मे अधोसंरचना के कार्यों में वृहद् पुल निर्माण जिसमें स्कूली बच्चों को अध्यापन कार्य में सहायता मिले ऐसे कार्य को प्राथमिकता में लेकर सड़क उन्नयन के कार्य को भी प्राथमिकता में लेने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया। भैसमा–कुरूडीह पुलिया निर्माण के प्रस्ताव को सराहा गया एवं पुलिया निर्माण के पूर्व एवं पश्चात् होने वाले परिवर्तन का सफलता की कहानी तैयार करने के निर्देश भी दिये गये।

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्रामीण सचिवालय की आवश्यकता नहीं होना बताया गया, इसके स्थान पर अन्य कार्य लिये जाने का सुझाव दिया गया।

सिंचाई मद में मुख्य सचिव महोदय द्वारा असाध्य पंपों को साध्य बनाने के लिए डी.एम.एफ. मद की रशि का उपयोग करने के सुझाव दिये गये तथा नदी एवं नहरों के साथ लगे हुए क्षेत्रों में सौर ऊर्जा पम्पों की स्थापना वृहद स्तर पर करने से कृषि हेतु सिंचाई की पर्याप्त सुविधा होने बाबत् भी सुझाव दिये गये।

स्कूल आश्रमों में धुंआरहित चूल्हों का उपयोग भी करने का सुझाव दिया गया एवं कोरबा शहर के आसपास की बस्ती में भी इस योजना का विस्तार करने का सुझाव दिया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उज्जवला योजना के विस्तारण के पश्चात् कोयला सिगड़ी पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश कलेक्टर, कोरबा को दिये गये।

अंत मे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया कि डी.एम.एफ. के कार्यो की शुरूआत खनन क्षेत्रों के 05 कि.मी. की त्रिज्या में पहले शुरू करें। इस क्षेत्र में आने वाले गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करें। अन्य जिलें मे भी इसी प्रकार की व्यवस्था सभी कलेक्टर सुनिश्चित करें। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाये।

(कार्यवाही कलेक्टर)

12.2 जिला दंतेवाड़ा – कलेक्टर, दंतवोड़ा द्वारा आगामी तीन वर्षों हेतु राशि रूपये 449.00 करोड़ की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। मुख्य रूप से खदान क्षेत्रों के आसपास 5 ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की योजना का प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें सर्वप्रथम पेयजल योजना के अंतर्गत जलआवर्धन योजना के कार्य पर एन.एम.डी.सी. के अतिरिक्त पेयजल वितरण की लगभग 100 करोड़ की योजना के प्रस्तुतिकरण को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सराहा गया। सचिव, खनिज साधन विभाग

द्वारा पूर्णकालिक कार्यपालन अभियंता, पीएचई की पदस्थापना का सुझाव दिया गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित किया गया कि जहां बड़ी योजना संचालित है वहां पूर्णकालिक अधिकारी पदस्थ करते हुए अतिरिक्त प्रभार से अन्य अधिकारियों को मुक्त करें।

(कार्यवाही सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग)

जिला कलेक्टर द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण में यह बताया गया कि यह हर्ष का विषय है कि जिले के 5 गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की कुल राशि रूपये 26.28 करोड़ की परियोजनाओं को दिनांक 04 जुलाई, 2016 को नेशनल माईनिंग कान्क्लेव, रायपुर में माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार के हाथों शिलान्यास किया गया।

दंतेवाड़ा जिले में एन.एम.डी.सी. अंतर्गत संचालित अस्पतालों को आर.एस.बी.वाय. योजना अंतर्गत पंजीकृत किये जाने के निर्देश दिये गये।

शिक्षा के प्रस्तुतिकरण में ''प्रयास'' मॉडल की शुरूआत कक्षा 9 से किये जाने का प्रस्ताव सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा रखा गया, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के सभी हॉस्टल एवं छात्रावासों में सुधार कार्य डी.एम.एफ. से किये जाने के निर्देश दिये गये। इसी तरह शिक्षा हेतु बच्चों के लिए ''प्रज्ञा'' योजना अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम आधारित विडियो तैयार किये जाये, यह निर्देश भी दिये गये। जिले में ग्रीष्मकालीन अवकाश में बच्चों के कौशल उन्नयन हेतु एवं उनके शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिए संचालित कैम्पस् एवं ''रंगीला'' योजना को काफी सराहा गया एवं निर्देश दिये गये कि अन्य जिलों में इस तरह की योजनाओं को लागू किया जाये। जिले में संचालित ''छू लो, आसमान'' जिसके माध्यम से बच्चों को विभिन्न शिक्षा केन्द्रों में प्रतिस्पर्धा परीक्षा एवं गणित एवं विज्ञान का विशेष कोचिंग दिया जाता है, की भी काफी सराहना की गई।

दंतेवाड़ा जिले अंतर्गत संचालित क्षीरसागर योजना की समीक्षा में यह पाया गया कि प्रतिमाह उत्पादकता 1400 लीटर से घटकर 1000 लीटर हो गई है, इसे बढ़ाने हेतु प्रयास किये जावें एवं डेयरी विकास योजना के साथ इसे जोड़ना आवश्यक होगा, जिसमें पशुचारा विकास एक महत्वपूर्ण घटक रहेगा। उद्योग विभाग के माध्यम से लघु उद्यमियों के लिए कोल स्टोरज स्थापना हेतु छोटी परियोजनायें लागू की जा सकती है, उसी तरह समस्त जिलों में उद्योग विभाग के माध्यम से इण्डस्ट्रीयल इन्क्यूबेशन सेंटरों की स्थापना करने के सुझाव भी दिये गये।

जिले में संचालित जनसुविधा एक्सप्रेस की योजना को सराहा गया व इसके विस्तार के लिए जिले में छोटे समूहों के द्वारा संचालित मोटर सेवाओं को भी सराहा गया।

कृषि क्षेत्र की समीक्षा अंतर्गत जिले में संचालित मोचोबाड़ी योजना में जिले के आदिवासी किसानों को जोड़ने का प्रयास अच्छी सफलता लायी है। पारम्परिक बीजों के संरक्षण, संवर्धन एवं विस्तार हेतु इस योजना में काफी कुछ करने की संभावना है। सिंचाई के संबंध में सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा एनीकट के आस–पास सिंचाई रकबा बढ़ाने का सुझाव दिया गया एवं जहां बिजली उपलब्ध नहीं है, वहां वृहद स्तर पर कृषकों

को सौर ऊर्जा पम्पों का वितरण किया जाये। अधोसंरचना के कार्यों पर सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति तत्काल जारी करने हेतु कहा गया, ताकि नवम्बर में सभी कार्य प्रारंभ हो सकें।

दिव्यांगों के विकास के लिए आजीविका संवर्धन हेतु सौर ऊर्जा आधारित ट्राई–साईकिल वितरण जिले में किया जा रहा है। यह अन्य जिलों में भी करने वाली अनुकरणीय पहल है।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूरभाष संचार का विस्तार एवं बस्तर नेट की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटक है। अधोसंरचना विकास में जिले की हवाई–पट्टिका का सुदृढ़ीकरण एवं नाईट लेंडिंग फैसिलिटी देना भी एक आवश्यक घटक है। इन योजनाओं का क्रियान्वयन सम्पूर्ण गंभीरता से करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही कलेक्टर)

12.3 जिला जांजगीर–चांपा – कलेक्टर, जांजगीर–चांपा द्वारा आगामी तीन वर्षों हेतु राशि रूपये 279 करोड़ की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। 03 वर्षो में किये जाने वाले कार्यों के वर्षवार नियत समय में प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने हेतु कहा गया। उप–स्वास्थ्य केन्द्रों में कर्मचारियों के रहने लायक व्यवस्था किया जाये।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रानी तालाब गहरीकरण में जिले में संचालित उद्योगों से मदद लेने के निर्देश दिये एवं यह व्यवस्था करने के निर्देश दिये कि सभी तालाब पूरे वर्ष पानी से भरे रहे। मुख्य सचिव द्वारा एनीकट में सोलर पंप से सिंचाई का विस्तार करने हेतु कहा गया एवं सौर ऊर्जा पंप उन कृषकों को दिया जाये जिनके खेत एनिकट के आस–पास हों।

प्रमुख सचिव, वन विभाग ने जिले में वन क्षेत्र बहुत कम होने के कारण हरित क्षेत्र के विकास किए जाने का सुझाव दिया।

क्रोकोडाईल पर्यटन केन्द्र कोटमीसोनार में ब्रिडिंग सेंटर की स्थापना एवं पर्यटन विकास की कार्ययोजना को सराहा गया। नगरीय क्षेत्र जांजगीर के रानी तालाब गहरीकरण एवं हरित क्षेत्र विकास, नगरीय क्षेत्र चांपा के रामबांधा तालाब का गहरीकरण एवं हरित क्षेत्र विकास कार्ययोजना में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। लाईवलीहुड कालेज में ऑडिटोरियम एवं लाईब्रेरी निर्माण तथा कौशल विकास परिसर में खेल मैदान एवं अत्याधुनिक Equipment की व्यवस्था करने हेतु बताया गया। जिले में 9 ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना है।

(कार्यवाही कलेक्टर)

12.4 जिला बलौदाबाजार–भाटापारा – कलेक्टर, बलौदाबाजार–भाटापारा द्वारा आगामी तीन वर्षों हेतु राशि रूपये 129 करोड़ की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। कुपोषण से मुक्त करने के प्रस्ताव पर तेजी से कार्यवाही करते हुए, जिले को कुपोषण से मुक्त करने हेतु कहा गया। जिले में कार्ययोजना बनाने से पूर्व क्रिटिकल गेप्स की पहचान करने के उपरांत समग्र विकास की योजना बनाई गई है, जिले के 21000 से भी अधिक बच्चों के लिए नवाजतन योजना क्रियान्वित की जा रही है। जिले में कुपोषित बच्चों का आंकड़ा

बहुत अधिक है एवं बच्चों की कुपोषण से मुक्त करने के लिए गंभीरता से प्रयास करने की आवश्यकता है।

स्ट्रीट लाईट विद्युतीकरण के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा स्ट्रीट लाईट में आवश्यक रूप से एलईडी बल्ब लगाने हेतु समस्त कलेक्टर्स को कहा गया।

तालाब सौन्दर्यीकरण के बजाय पर्यावरण संरक्षण/सुधार के कार्य लिये जाने हेतु मुख्य सचिव द्वारा कहा गया एवं कृषि संबंधी प्रस्ताव पर रूटीन कार्य/विभागीय कार्य, विभागीय मद से कराये जाने एवं उसके स्थान पर प्लग सिडलिंग नर्सरी का कार्य डी.एम. एफ. मद से किये जाने का सुझाव दिया गया। यह कार्य जांजगीर–चांपा के अलावा बलौदाबाजार–भाटापारा एवं बस्तर जिले में भी लिये जाने के सुझाव दिये गये। अंत में अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा के द्वारा डी.एम.एफ. के प्रस्ताव पर यह सुझाव दिया गया कि छोटे–छोटे कार्यो के बजाय, बड़े यूनिक एवं शोकेस के रूप में दर्शाने वाले कार्यो को लिया जाये एवं इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये, जिससे इसकी मॉनिटरिंग में भी आसानी होगी।

जिले में 22 ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इन 22 ग्रामों में आगामी 3 वर्षों में कुपोषित बच्चों का औसत जिला औसत से 5 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य निर्धारित है तथा सभी ग्रामों में शत–प्रतिशत विद्युतीकरण, पेयजल सुविधा, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव एवं कक्षा 10वीं एवं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं में परिणामों में सफल विद्यार्थियों की वृद्धि करने का लक्ष्य भी है।

(कार्यवाही कलेक्टर)

12.5 जिला बिलासपुर – कलेक्टर बिलासपुर द्वारा आगामी तीन वर्षों हेतु राशि रूपये 168 करोड़ की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण में राजस्व प्रशासन आधुनिकीकरण परियोजना की जानकारी दी गई।

आदर्श ग्राम योजनांतर्गत जिले में 5 ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना है। इन सभी पंचायतों में गौण खनिज से प्राप्त रॉयल्टी राशि रूपये 8.5 करोड़ प्रतिवर्ष है। इन ग्रामों में से 4 ग्राम ऐसे हैं जिनमें रूपये 1 करोड़ से अधिक राशि प्रतिवर्ष गौण खनिज रॉयल्टी से प्राप्त होती है। आदर्श ग्राम योजना में आगामी 3 वर्ष हेतु 15 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान रखा गया है, जिनमें पेयजल, बिजली, सड़क, स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का विकास, एस.डी.जी. के लक्ष्यों की प्राप्ति, कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन, कृषकों के आय में दोगुनी वृद्धि जैसे मुख्य घटक जोड़े गये हैं।

बैगा बसाहटों में पेयजल व्यवस्था तथा सोलर पंप स्थापना एवं पाईप विस्तार की कार्ययोजना शामिल की गई है।

सभी सार्वजनिक स्थानों में नागरिकों को शुद्ध पेयजल सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेषकर कलेक्टर कार्यालय, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, जिला अस्पताल एवं अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वाटर ए.टी.एम. स्थापित किये जाने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये।

निर्मल ग्राम योजना के अंतर्गत बने हुए शौचालयों का संधारण करने का सुझाव अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिया गया।

बिलासपुर में सेंट्रल लाईब्रेरी का निर्माण कार्ययोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।

(कार्यवाही कलेक्टर)

12.6 जिला बस्तर – कलेक्टर, बस्तर द्वारा आगामी तीन वर्षों हेतु राशि रूपये 288 करोड़ की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। पेयजल संबंधी प्रस्तुतीकरण, जिसमें 400 बसाहटों में फ्लोराईड एवं आयरन की समस्या होने के बारे में बताया गया, अंतर्गत कुछ बसाहटों में पेयजल आपूर्ति पाईपलाईन के माध्यम से वितरण के प्रस्ताव को सराहा गया एवं मुख्य सचिव द्वारा सभी कलेक्टरों को इस पर विचार करने हेतु कहा गया।

पर्यावरण संरक्षण घटक के प्रस्तुतिकरण में मुख्य रूप से जगदलपुर शहर के प्रमुख तालाब दलपत सागर के उन्नयन एवं इन्द्रावती रिवर फ्रन्ट के उन्नयन/संवर्धन को सराहा गया तथा इन्द्रावती नदी से बस्तर जिले के अंदरूनी गांवों में नावों के माध्यम से संचार के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जगदलपुर के आस–पास इसे प्रयोग के तौर पर प्रारंभ करने हेतु कहा गया एवं भविष्य में सुरक्षागत् पहलुओं का भलीभांति अध्ययन कर अन्य क्षेत्रों में इसे लागू करने के निर्देश दिये गये।

स्वास्थ्य सेवाओं के प्रस्तुतिकरण में सभी बच्चों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण पर आवश्यक ध्यान देने के निर्देश दिये गये। जिले में सुदूर अंचलों के ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन, जहां डिलिवरी 10 से अधिक है, की योजना को बहुत सराहा गया।

मुख्यमंत्री महोदय द्वारा मोबाईल चिकित्सा के प्रस्ताव पर वोकार्ड कंपनी से संपर्क कर, उनके द्वारा संचालित योजना जिसमें सालभर के लिए एम्बुलेंस डॉक्टर सहित पैरामेडिकल स्टॉफ उपलब्ध रहते हैं, इसका अध्ययन कर लागू किये जाने के निर्देश सभी जिलों को दिया गया। यह मोबाईल चिकित्सा सेवा सभी हॉट–बाजारों में उपलब्ध कराई जाये, यह सुनिश्चित किया जाना होगा। जिले में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से संलग्न मर्च्यूरी निर्माण को भी सराहा गया। यह निर्माण कार्य सभी जिलों में डी.एम.एफ. मद से कराया जा सकता है। मर्च्यूरी निर्माण अथवा उन्नयन के साथ फ्रीजर भी डी.एम.एफ. राशि से उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी जिलों में यह सुनिश्चित किया जाये कि शवों के परिवहन हेतु पृथक से वाहन उपलब्ध रहे, इस हेतु विशेष रूप से स्वयंसेवी संस्थाओं की सहायता ली जा सकती है।

बस्तर जिले में हायर एज्युकेशन हब की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। इस हायर एज्युकेशन हब के साथ–साथ स्पोर्ट्स एकेडमी का भी निर्माण किया जाये, जिसमें विशेष रूप से एथलेटिक्स पर भी जोर दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बस्तर संभाग में अलग–अलग खेलों के लिए 10–12 वर्ष के बच्चों का चयन कर, उन्हें एक साथ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में व्यापक आवासीय व्यवस्था बनाकर, उच्चस्तरीय प्रशिक्षक की व्यवस्था कर, प्रशिक्षण देने हेतु कहा गया साथ ही इन बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था भी इसी परिसर में उपलब्ध होना सुनिश्चित हो। इसका संचालन शिक्षा के क्षेत्र में ''प्रयास'' योजना

की तरह किया जाये, जिससे भविष्य में अच्छी खेल प्रतिभा इस क्षेत्र से उभरेंगे। उन्होंने खेल के क्षेत्र में भी कम से कम 05 व्यक्तिगत खेलों को शामिल करने के निर्देश दिये।

बस्तर जिले की कार्ययोजना में ग्रामीण आदिवासी कृषकों के लिए कृषि उत्पादक को–ऑपरेटिव के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देना, श्वेत बस्तर योजना अंतर्गत डेयरी विकास कार्यक्रम, आमचो बस्तर बाजार के माध्यम से स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन, अडवाल में स्किल सिटी के निर्माण को सराहा गया। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से चित्रकोट जलप्रपात सहित बस्तर के पर्यावरण संरक्षण की परियोजनाओं को शामिल करना कार्ययोजना का एक महत्वपूर्ण घटक है।

(कार्यवाही कलेक्टर)

12.7 जिला बालोद – कलेक्टर, बालोद द्वारा आगामी तीन वर्षों हेतु राशि रूपये 143 करोड़ की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुत योजना का अवलोकन किया गया, जिस पर सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा समस्त परियोजनाओं में संधारण लागत अत्यधिक होने से इसके संबंध में पुर्नविचार कर उपयुक्त प्रावधान करने हेतु कहा गया। जिला बालोद अंतर्गत 53 ग्रामों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित घोषित किया गया है।

प्राकृतिक जल स्त्रोतों से प्राप्त पानी का उपचार एवं संचय की योजना डी.एम.एफ. मद में प्रस्तावित की गई। इस कार्ययोजना की सराहना की गई। जिले में लालपानी से प्रभावित ग्रामों में सोलर पंप मय जल शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना की कार्ययोजना शामिल है जिसकी सराहना की गई। ऐसे ग्रामों में पेयजल व्यवस्था हेतु सोलर हैण्डपम्प, वाटर ए.टी.एम. एवं वाटर प्यूरीफायर की भी योजनाएं हैं। इस हेतु जिले में जिला पेयजल प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है। उपस्वास्थ्य केन्द्र तथा सामूहिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युतीकरण एवं शुद्ध जल व्यवस्था की योजना की सराहना की गई। यह आवश्यक है कि सभी जिलों में स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युतीकरण एवं शुद्ध जल की व्यवस्था रहें, तदाशय के निर्देश मुख्य सचिव द्वारा दिये गये।

जिले में संजारी खेल परिसर के विकास की योजना के अंतर्गत प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिये कोचिंग व्यवस्था, खेल सुविधा विस्तार कार्य इत्यादि शामिल है।

गन्ना उत्पादकों के लिए फेंसिंग में अनुदान, गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ड्रिप सिंचाई व्यवस्था, कृषक समूहों को मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला गन्ना उत्पादकों के लिए लघु एवं सीमांत कृषकों को आवश्यक ड्रीप सिंचाई सुविधाएं इत्यादि कृषि विकास की परियोजनाएं शामिल हैं। शिक्षा अंतर्गत ''नई दिशाएं'' योजना की काफी सराहना की गई है। जिला मुख्यालय में क्लास रूम के माध्यम से विशेष कोचिंग कक्षाएँ जिसमें सभी वर्गों के छात्रों के प्रतियोगी प्ररीक्षाओं की कोचिंग की व्यवस्था कराना, साथ ही नई दिशाएं केन्द्रों के लिए परिवहन व्यवस्था एवं सभी ब्लॉक मुख्यालयों में ई–क्लास रूम के माध्यम से कोचिंग की व्यवस्था, इस योजना में शामिल हैं। बोझ मुक्त शिक्षा योजना के अंतर्गत बिना पाठ्यपुस्तकों के बच्चों को उन्मुक्त वातावरण में विद्यालयों में पहुंचने की कार्ययोजना शामिल हैं।

(कार्यवाही कलेक्टर)

12.8 जिला रायगढ़ – कलेक्टर, रायगढ़ द्वारा आगामी तीन वर्षों हेतु राशि रूपये 165 करोड़ की कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण किया गया। खनन संक्रियाओं से प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हांकन कर अधिसूचित किया जाकर, पूरे जिले को प्रभावित जिला घोषित किये जाने की जानकारी दी गयी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा डी.एम.एफ. के कुल व्यय में से 50 प्रतिशत से अधिक राशि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किये जाने हेतु सभी कलेक्टर्स को कहा गया।

केलो नदी में स्थापित जल शोधन संयंत्र एवं दूषित जल उपचार के अंतर्गत पेयजल योजना के प्रस्तुतीकरण पर पानी अपस्ट्रीम से लिए जाने का सुझाव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया, जिससे शुद्ध पानी मिलेगा। सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा तमनार इत्यादि खनन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल समस्या का निराकरण, डी.एम.एफ. से किये जाने का सुझाव दिया गया। प्रत्यक्ष प्रभावित ग्रामों में सोलर ट्यूब पम्प/सोलर जल शुद्धिकरण यंत्र की स्थापना डिफ्लोराईडेशन प्लांट की स्थापना जैसी योजनाएं शामिल हैं।

शिक्षा से संबंधित प्रस्तुतिकरण में बताया गया कि जिले में हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी स्कूलों में लेबोरेटरी स्थापना, प्रयोगशाला भवन निर्माण तथा आश्रम छात्रावास भवनों के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन के कार्य शामिल हैं। तेजस्विनी योजना के अंतर्गत निशुल्क शिक्षा कोचिंग एवं आवासीय सुविधा का प्रावधान रखा गया है। दूरस्थ अंचलों के मेधावी छात्राओं को चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश हेतु विशेष कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है।

कौशल विकास योजना के अंतर्गत अंचल की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल हैवी एवं लाईट मोटर ड्राईवर तथा मैकेनिक तथा अन्य कुशल जनशक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु योजनाएं शामिल की गई हैं। स्वच्छता अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजनाएं एवं नाली निर्माण शामिल किए गए हैं।

उक्त सभी महत्वपूर्ण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन आगामी 03 वर्षों में किया जाने का सुझाव दिया गया।

(कार्यवाही कलेक्टर)

12.9 जिला कोरिया – कलेक्टर, कोरिया द्वारा राशि रूपये 64 करोड़ की कार्ययोजना का प्रस्तुतीकरण किया गया। प्रस्तुत प्लग सिडलिंग नर्सरी – जिसके अंतर्गत स्माल यूनिट ऑफ प्लग टाईप वेजीटेबल सीडलिंग नर्सरी शामिल है, जिसकी प्रति इकाई लागत रूपये 60 लाख है – की योजना को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सराहा गया, यह योजना समस्त जिलों में लागू किया जाना चाहिए। कृषि सेवा केन्द्रों को पी.पी.पी. मॉडल में चलाने के प्रस्ताव के परीक्षण हेतु अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को कहा गया।

वर्तमान में कोरिया जिले में खनन से प्रभावित ग्रामों में पेयजल आपूर्ति हेतु वाटर ए.टी.एम. की स्थापना की योजना बहुत सफल रही है। इस योजना को समस्त जिलों में लागू करने का सुझाव दिया गया। उक्त योजना हेतु डी.एम.एफ. से राशि व्यय की जा सकती है। सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा ई–रिक्शा के प्रस्तुतीकरण की सराहना करते हुए, कोरिया जिले को स्टार्ट–अप छत्तीसगढ़ का केन्द्र बताया एवं चिरमिरी–नागपुर रेल लाईन परियोजना के लिए कुछ राशि सुरक्षित रखने का सुझाव दिया गया।

केवई नदी एवं हसदो नदी के आसपास के बसाहटों में पेयजल आपूर्ति एवं सिंचाई परियोजनाओं का विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं फिजीबिलिटी स्टडी करने हेतु कहा गया। जिले अंतर्गत कुपोषण को कम करने के लिए प्रस्तावित ''खुशी बेबी योजना'' को सराहा गया। इस योजना का अनुसरण अन्य जिलों में भी किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण हेतु कौशल उन्नयन की विभिन्न परियोजनाओं जैसे–सेनेटरी नेपकीन बनाने हेतु लघु उद्योग, सम्पूर्ण रूप से महिलाओं हेतु संचालित ई–रिक्शा, महिला स्वसहायता समूह के माध्यम से संचालित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन भी काफी सराहनीय परियोजनाएं हैं। प्राचीन धरोहरों एवं ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण हेतु भी विशेष प्रावधान रखा गया है। जिले के पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से अमृतधारा जलप्रपात का उन्नयन एक महत्वपूर्ण पहल है।

(कार्यवाही अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग/कलेक्टर)

उपरोक्त 09 जिलों के कार्ययोजना के प्रस्तुतीकरण पश्चात् माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

1. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के साथ–साथ डी.एम.एफ. मद में स्वीकृत बड़े–बड़े कार्यों को समारोहपूर्वक प्रत्येक जिलों में प्रारंभ किया जाये, इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाकर भविष्य के सफलता की कहानी के लिए वर्तमान परिस्थितियों के अभिलेख/फोटोग्राफ को भी सुरक्षित रखा जाये।
2. स्किल डेव्हलपमेंट में ली गयी योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से किया जावे, विशेषकर लघुकालिक स्वरोजगार मूलक कौशल उन्नयन के कार्यक्रम को प्राथमिकता में लें, जिससे स्वरोजगार प्राप्त होगा। कौशल विकास हेतु अधोसंरचना विकास का कार्य इस मद से किया जाए।
3. सर्वप्रथम खनन क्षेत्र से लगे हुए ग्रामों में विकास कार्य प्राथमिकता से प्रारंभ किया जावे, जिससे आने वाले वर्षों में क्षेत्र में हुए विकास/परिवर्तन परिलक्षित हो सके। विकास का फोकस खनन प्रभावित क्षेत्र को केन्द्र मानते हुए पेरिफेरी की ओर बढ़ें। डी.एम.एफ. के कुल व्यय में से 50 प्रतिशत से अधिक राशि प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रों में खर्च किया जावे।
4. समस्त कलेक्टर्स को निर्देश दिया गया कि यदि उपयोगी परियोजना अन्य जिलों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो इसका समावेश अपने जिले के कार्ययोजना में शासी परिषद् के अनुमोदन के पश्चात् शामिल करें, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास परिलक्षित होगा।
5. छात्र–छात्राओं हेतु छात्रावास/आश्रम निर्माण कार्य एवं उनके जीर्णोद्धार का कार्य प्राथमिकता से किया जावे।
6. वेटनरी के क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों के उन्नयन एवं रख–रखाव को कार्ययोजना में शामिल किया जावे।
7. सभी कलेक्टर्स छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के व्यय संबंधी नियमों के अनुरूप कार्ययोजना बनावें एवं नियमों के अनुसार ही न्यास निधि से व्यय किया जाना सुनिश्चित करें।
8. सभी कलेक्टर्स कार्ययोजना में अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रशासकीय स्वीकृति माह अक्टूबर के अंत तक जारी करें जिससे नवम्बर, 2016 से कार्य प्रारम्भ हो जाये।

9. डी.एम.एफ. मद से 03 वर्ष की राशि के बराबर कार्य स्वीकृत किया जावे।
10. स्वीकृत परियोजना के कार्य शुरू होने के पूर्व, कार्य के दौरान, कार्य पूर्ण होने पर फोटो ग्राफ/विडियो बनवाया जावे, जिससे सफलता की कहानी अच्छे से बन सके।
11. डी.एम.एफ. से कराये जाने वाले समस्त कार्यस्थलों में कार्य की जानकारी से संबंधित बोर्ड प्रदर्शित किया जावे, जिसमें कार्य के विवरण के साथ ही डी.एम.एफ. का Logo एवं छत्तीसगढ़ शासन का राजकीय चिन्ह भी लगाया जावे।

अंत में सचिव, खनिज साधन विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव तथा उपस्थित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, समस्त सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को उनके द्वारा इस प्रस्तुतीकरण पर बहुमूल्य सुझाव एवं दिशा–निर्देश देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं सभी जिला कलेक्टर्स एवं जिलास्तरीय अधिकारियों को प्राप्त सुझावों के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु कहा गया।

(इफ्फत आरा)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग